श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांकः—पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2021/263

प्रार्थी मनीष जैन पुत्र मदन लाल जैन जाति जैन निवासी 123 हरदीप सिंह कॉलोनी नजदीक बसंती चौंक श्रीगंगानगर हाल आबाद गली नं0 5 न्यू माधोपुरी लुधियाना ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मूलरसीद , मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरे ताया लखमी चन्द पुत्र तारा चन्द जाति जैन निवासी 123 हरदीप सिंह कॉलोनी नजदीक बसंती चौक तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 26.05.2015 को वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 31.07.2021 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 26.05.2015 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान श्रीराम पुत्र तेजाराम एवं हेमंत कुमार पुत्र ओमप्रकाश ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री महावीर मिढढा ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है। अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय